समक्षः न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैंप रीवा (मध्यप्रदेश)

निगरानीयाचिका क्र0-   /2000.

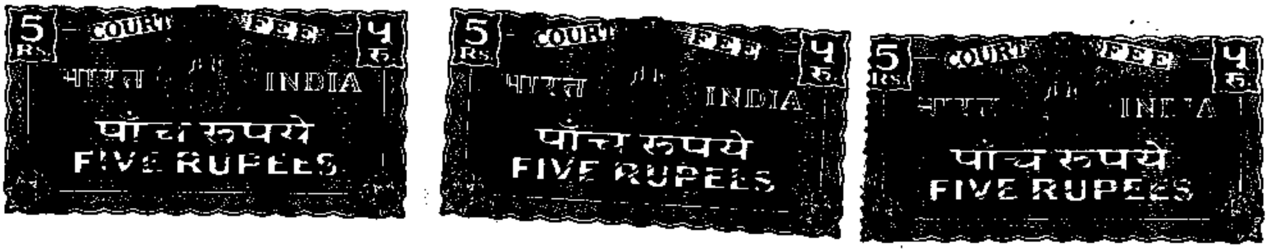

बलबीर सिंह पिता श्री दर्शन सिंह निवासी ग्राम बैर, तहसील-सिरमौर
जिला रीवा (मध्यप्रदेश)- ———याचिकाकर्ता

बनाम

(1) भोला पिता श्री बेटई कुम्हार, (2) छकौड़ी पिता श्री भागीरथी तेली, दोनों निवासी ग्राम बैर, तहसील-सिरमौर, जिला रीवा म.प्र.,
-गैरयाचिकाकर्तागण

2-1764-III/2000

निगरानीयाचिका विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा (म.प्र.) के प्र0क्र0/अपील/397/98-99, आदेश दिनांक-04.08.2000।

निगरानीयाचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0-भू-राजस्व संहिता ।

[illegible] 13-9-2000
[illegible]
13-9-2000

मान्यवर,

निगरानीयाचिका के आधार निम्नांकित है:-

(1) यह कि निगरानीशुदा आदेश विधि एवं प्रक्रिया तथा साक्ष्य के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिये कायम रखे जानें योग्य नही है।

(2) यह कि विवादित आराजी का अंतरण एवं नामांकन स्वत्व के आधार पर ग्राम पंचायत बैर द्वारा दिनांक 30.07.96 को किया गया । स्वत्व का अंतरण गैरयाचिकाकर्ता क्र0 2 एवं याचिकाकर्ता के बीच एक रजिस्टर्ड बदलानामा निष्पादित कराकर किया गया है। जिस समय बदलानामा निष्पादित किया गया था, उस समय विवादित आराजियात पर गैरयाचिकाकर्ता क्र0 2 के अलावा किसी अन्य का कोई स्वत्व अथवा आधिपत्य नही रहा है। इसी आधार पर दिनांक 30.06.96 को पटवारी द्वारा इस्तहार जारी किया गया था, तथा कोई आपत्ति न आनें पर विधि एवं [illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1764-III/09 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
3/8/16	आवेदक अभि० श्री. कुंवर सिंह कुशवाह उप०/ अना. अनु०/ 2. आवेदक कहता है कि अनावेदक-को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह कब्जे के आधार पर लाभ चाहा रहा है। 3. उनके द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जावे जिसमें वह [illegible] के आधार पर निराकरण किया जावे 4. अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को पूर्ण सुनवाई कर एवं पक्षकारों [illegible] का अवसर देते हुए प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जावे (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) 3/8/16